विभाग
पत्रावली संख्या

और आज्ञायें

1

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

शिकायत संख्या : 15707

शिकायत अंतर्गत धारा 18(1) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

शिकायतकर्ता : श्री हिमांशु सरीन, एडवोकेट कार्यालय 31, इन्द्रा विकास कॉलोनी, भूपतवाला हरिद्वार, थाना कोतवाली नगर हरिद्वार– 249410.

बनाम

प्रत्युत्तरदाता :1. लोक सूचना अधिकारी / श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

2. डॉ0 बी0 एल0 आर्य डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक, मुख्य परीक्षा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल, टिहरी गढवाल, जिला–टिहरी गढ़वाल।

3. परीक्षा नियंत्रक, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

4. कुलसचिव, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

5. लोक प्राधिकारी/कुलपति, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वाराः

आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता अपने व्यवहारी श्री दीपक सहित उपस्थित हुये। शिकायतकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने संबंधी पत्र दिनांकित 19/06/2024 एवं शिकायतकर्ता के व्यवहारी श्री दीपक द्वारा शिकायतकर्ता श्री हिमांशु सरीन को अपने प्रतिनिधि के रूप में समस्त कार्यवाही के लिए अधिकृत किये जाने विषयक अनापत्ति पत्र दिनांक 19 जून, 2024 सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये, जिन्हें परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया। लोक सूचना अधिकारी डॉ0 हेमन्त बिष्ट एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी डॉ0 बी0एल0 आर्य उपस्थित हुये। डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा पत्र दिनांक 24/05/2024 के माध्यम से अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया, जिसे परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. प्रस्तुत शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा लोक सूचना अधिकारी/ श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्विद्यालय, बादशाहीथौल, चम्बा, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी से अनुरोध पत्र दिनांकित 01.11.2023 के माध्यम से निम्न 04 बिन्दु गठित कर सूचना मांगी गयीः

बिन्दु संख्या–1 यह कि श्री दीपक, रोल नं0–280220050012 बी० ए० बैच वर्ष–2022–2023 (तृतीय वर्ष) की राजनितिक विज्ञान (प्रथम पेपर) की उत्तर पुस्तिका की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या–2 यह कि श्री दीपक, रोल नं0–280220050012 बी०ए० बैच वर्ष–2022–2023 (तृतीय वर्ष) की इतिहास (प्रथम पेपर) की उत्तर पुस्तिका की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या–3 यह कि बिन्दु सं0–01 के अनुसार उक्त परीक्षा के उपस्थिति रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

बिन्दु संख्या–4 यह कि विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ की समस्त जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3. अनुरोध पत्र के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने की तिथि समाप्ति के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 14.01.2024 के माध्यम से आयोग में शिकायत प्रस्तुत करते हुए लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाए जाने एवं शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रस्तुत शिकायत की सुनवाई आयोग द्वारा दिनांक 30/04/2024 को की गयी। उक्त तिथि को पारित आदेश का प्रस्तर 7 लगायत 13 निम्नानुसार है:–

प्रस्तर 7. लोक सूचना अधिकारी के लिखित अभिकथन से स्पष्ट विदित है कि:–

7.1. **लोक सूचना अधिकारी द्वारा मूल अनुरोध पत्र का गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। उनके द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि दिनांक 01.11.2023 को अधिवक्ता श्री हिमांशु सरीन द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं।**

7.2. **लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नगत शिकायत से संबंधित अनुरोध पत्र पत्रांक संख्या:– मेमो/SDSUV/ आर०टी०आई०/2023 दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से सहायक परीक्षा नियन्त्रक (मुख्य परीक्षा) को प्रेषित किये जाने तथा सूचना प्राप्त न होने पर पत्रांक संख्या:– मेमो/SDSUV/आर०टी०आई०/2023 दिनांक 05.12.2023 द्वारा पुन: अनुस्मारक के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किए जाने का कथन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने इस कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

गया है। साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने से यह स्पष्ट नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता का मूल अनुरोध पत्र 07.11.2023 को सहायक परीक्षा नियंत्रक/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया।

7.3. लोक सूचना अधिकारी के लिखित अभिकथन के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न पत्रांक संख्याः— मेमो/SDSUV/आर०टी०आई०/2024 दिनांक 03.01.2024 को प्रेषित पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना संबंधी 06.11.2023 का अनुरोध पत्र प्रथम बार दिनांक 03.01.2024 को सहायक परीक्षा नियंत्रक मुख्य परीक्षा को प्रेषित किया गया।

7.4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने लिखित अभिकथन के साथ दिनांक 03.01.2024, दिनांक 02.02.2023, दिनांक 30.03.2024 तथा दिनांक 15.04.2024 को प्रेषित पत्र संलग्न किए हैं। संलग्न पत्रों की प्रतियों से स्पष्ट है कि दिनांक 03.01.2024, दिनांक 02.02.2023, दिनांक 30.03.2024 तथा दिनांक 15.04.2024 के पत्रों पर कोई पत्रांक नहीं हैं तीनों पत्र पत्रांक मेमो/SDSUV/आर०टी०आई०/2024 से प्रेषित हैं। दिनांक 15.04.2024 को पत्रांक 193/SDSUV/ आर०टी०आई० /2024 से भेजे गए पत्र में लोक सूचना अधिकारी द्वारा मेमो/SDSUV/आर०टी०आई०/2024 के माध्यम से दिनांक 03.01.2024, दिनांक 02.02.2023, दिनांक 30.03.2024 तथा दिनांक 15.04.2024 को प्रेषित अनुस्मारकों का कोई उल्लेख नहीं है।

7.5. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.04.2024 को शिकायतकर्ता को वांछित सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता को सूचना दिनांक 26.04.2024 को नहीं बल्कि आयोग में सुनवाई से ठीक पहले दिन दिनांक 29.04.2024 को पंजीकृत डाक **CV161369698IN** के माध्यम से प्रेषित की गयी।

प्रस्तर 8. प्रश्नगत प्रकरण/शिकायत पर चर्चा से निम्नवत स्पष्ट है:—

8.1. शिकायतकर्ता अधिवक्ता है तथा उनके द्वारा अपने व्यवहारी श्री दीपक की विश्वविद्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंछित उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त न होने पर अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत की गयी है।

8.2. शिकायत जिस अनुरोध पत्र के क्रम में की गई वह अधिवक्ता श्री हिमांशु सरीन द्वारा अपने नाम से प्रस्तुत की गयी है जबकि अनुरोध पत्र में आवेदन शुल्क अपने व्यवहारी श्री दीपक निवासी हरिद्वार के नाम से स्टांप शुल्क के माध्यम से जमा किया जाना उल्लेखित है।

8.3. मूल अनुरोध पत्र में अधिवक्ता श्री हिमांशु सरीन द्वारा अपने व्यवहारी हरिद्वार निवासी श्री दीपक पता अज्ञात के लिए लोक सूचना अधिकारी श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल टिहरी से श्री दीपक (अनुक्रमांक 280220050012) की वर्ष 2022—23 में राजनैतिक विज्ञान तथा इतिहास विषयों के बीए तृतीय वर्ष की प्रथम पेपर की उत्तर पुस्तिका तथा परीक्षा में उपस्थिति के प्रमाण की सत्यापित प्रति की मांग की गयी है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

8.4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोध पत्र की ग्राहयता का सूचना अधिकार अधिनियम के

JP

प्रावधानों के अनुसार परीक्षण नहीं किया गया तथा सूचना प्रेषण हेतु अनुरोध पत्र डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को भेज दिया गया।

8.5. सूचना अनुरोध पत्र के परीक्षण में घोर लापरवाही के उपरांत सूचना प्रेषण में भी लोक सूचना अधिकारी एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना रूख रहा। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं कथनों से स्पष्ट है कि सूचना के प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी की सदमंशा नहीं रही है। आयोग में सुनवाई हेतु नोटिस के उपरांत शिकायतकर्ता को खानापूर्ति के लिए आधी–अधूरी अस्पष्ट सूचना प्रेषित की गयी।

प्रस्तर 9. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया कि वह अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किये जाने संबंधी अपने व्यवहारी का अधिकार पत्र तथा अपना वकालतनामा प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। शिकायतकर्ता का कथन है कि सूचना अनुरोध पत्र व्यवहारी के नाम से ही होना चाहिए इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र स्वीकार किया जा चुका है। अनुरोध पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया है अतः व्यवहारी का अधिवक्ता होने के नाते उन्हें वांछित सूचना प्रेषित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 10. लोक सूचना अधिकारी एवं शिकायतकर्ता को मूल अनुरोध पत्र के क्रम में अवगत कराया गया कि:–

10.1. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत केवल भारत के नागरिक के आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

10.2. आवेदन में आवेदक का नाम और पूरा डाक पता होना चाहिए।

10.3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कानूनी संस्था अथवा अधिवक्ता के माध्यम से सूचना मांगे जाने का प्रावधान नहीं है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

JP

10.4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अनुरोध पत्र के माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति तथा उपस्थिति के प्रमाण की सूचना व्यक्तिगत सूचना है। जिसका प्रकटीकरण अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए।

10.5. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (ञ) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना देने से इंकार कर सकते हैं जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है।

10.6. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (2) के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न व्यक्ति ''पर व्यक्ति'' अर्थात ''तृतीय पक्ष'' है एवं अधिनियम की धारा (11) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष की सूचना के प्रकटन से पूर्व ''पर व्यक्ति'' का 10 दिन के नियत समय में मत प्राप्त करना होगा।

10.7. लोक सूचना अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि सूचना केवल नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में ही प्रदान की जानी चाहिए।

प्रस्तर 11. वर्णित परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारी श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल चंबा टिहरी डॉ0 हेमन्त बिष्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने तथा सूचना प्रेषण में लापरवाही बरतने पर इस आशय का नोटिस जारी किया जाता है क्यों नहीं उनके विरुद्ध धारा 20 (1) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करते हुए धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही संस्तुत की जाए? लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन में प्रश्नगत प्रकरण में स्पष्ट तौर पर डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक मुख्य परीक्षा डॉ0 बी एल आर्य को जिम्मेदार बताया गया है अतः डीम्ड लोक सूचना अधिकारी डॉ0 बी. एल. आर्य को भी अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति सदमंशा न रखने पर क्यों नहीं उनके विरुद्ध अधिकतम शास्ति अधिरोपित करते हुए धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

और आज्ञायें

कार्यवाही संस्तुत की जाए? आगामी सुनवाई पर लोक सूचना अधिकारी एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नोटिस के सापेक्ष अपना–अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तर 12. प्रश्नगत प्रकरण अत्यंत संवेदनशील है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए सूचना मांगे जाने संबंधी अनुरोध पत्र स्वीकार करते हुए पंजीकृत किया गया है। सूचना अधिकार अधिकनयम के प्राविधान के अनुसार श्रीमान अधिवक्ता द्वारा अपने जिस व्यवहारी के लिए सूचना मांगी जा रही है, मूल सूचना अनुरोध पत्र उसी व्यवहारी के नाम पते के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत अनुरोध से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता श्री हिमांशु सरीन द्वारा श्री दीपक की सूचना मांगी जा रही है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया गया है अतः समस्त तथ्यों के आलोक में शिकायतकर्ता/अधिवक्ता श्री हिमाशु सरीन को निर्दिशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई पर वह अपने व्यवहरी/श्री दीपक की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करें। अगामी सुनवाई पर मूल अनुरोध पत्र में उल्लेखित श्री दीपक की पहचान स्पष्ट होने तथा उनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। शिकायतकर्ता/अधिवक्ता श्री हिमांशु सरीन आगामी सुनवाई पर अपने कथनानुसार अपने व्यवहारी की पहचान संबंधी प्रमाण पत्र तथा वकालतनामा प्रस्तुत करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि शिकायतकर्ता/अधिवक्ता द्वारा अपने व्यवहारी श्री दीपक के साथ व्यक्तिगत उपस्थित न होने की स्थिति में प्रश्नगत शिकायत एवं अनुरोध पत्र की ग्राह्यता पर विचार किया जाएगा।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

प्रस्तर 13. **लोक सूचना अधिकारी डॉ0 हेमंत विष्ट को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई तक शिकायतकर्ता के पते पर कोई सूचना न प्रेषित की जाए। मूल अनुरोध पत्र के क्रम में वांछित सूचना से संबंधित मूल उत्तर पुस्तिकायें तथा परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण आगामी सुनवाई पर आयोग के समक्ष**

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

प्रस्तुत किया जाए। आगामी सुनवाई पर लोक सूचना अधिकारी अपने स्पष्टीकरण के साथ ही आयोग में दर्ज कराये गए अभिकथन के पक्ष में समस्त प्रमाणों के साथ ही सूचना अधिकार संबंधी पंजिका तथा डिस्पैच पंजिका सहित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

5. आज सुनवाई में शिकायतकर्ता अधिवक्ता गत सुनवाई के निर्देश के क्रम में अपने व्यवहारी श्री दीपक के साथ व्यक्तिगत उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के व्यवहारी श्री दीपक की बी0ए0 तृतीय वर्ष के इतिहास एवं राजनीति शास्त्र की मूल उत्तर पुस्तिकायें आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी, जिसकी प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी गयी।

6. प्रश्नगत उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है। प्रेषित सूचना के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों को परीक्षक द्वारा जांचा ही नहीं गया। प्रेषित सूचना का मूल उत्तर पुस्तिका से मिलान किये जाने पर गैर जिम्मेदाराना मूल्यांकन की पुष्टि होती है। उदाहरण स्वरूप प्रश्नगत प्रकरण में राजनीति शास्त्र विषय की उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों के उत्तरों को नहीं जांचा गया है तो इतिहास विषय में एक प्रश्न मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था के सापेक्ष दिये गये उत्तर "मुहम्मद अली जिन्नाह" परीक्षक द्वारा सही मानते हुए अंक दिये गए हैं। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के प्राविधानों के अंतर्गत वर्णित परिस्थिति में परीक्षा नियंत्रक, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी एवं कुलसचिव, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में आगामी सुनवाई की तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर आयोग के समक्ष विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाए।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

7. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अत्यंत संवेदनशील विषय है। परीक्षक द्वारा सही मूल्यांकन न किया जाना उत्तर पुस्तिका में लिखे प्रश्नों के उत्तरों की जांच न किया जाना, गलत अंक दिया जाना आदि

JP

टीपें और आज्ञायें

लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही या जानबूझकर की गयी गड़बड़ी किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हो सकती। एक ओर जब मूल्यांकन की पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया जा रहा है वहीं राज्य के विश्वविद्यालय में मूल्यांकन की गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति एवं विश्वसनियता पर सवाल खड़े करती है।

8. सुनवाई के दौरान आयोग के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा संबंधी समस्त कार्य परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में सम्पन्न किये जाते हैं। जो परीक्षक मूल्यांकन कार्य सम्पादित कर रहे हैं वह मूल्यांक़न के प्रति संवेदनशील एवं विश्वसनीय हैं अथवा नहीं, यह देखना परीक्षा नियंत्रक का ही कर्तव्य है।

9. शिकायतकर्ता द्वारा आज सुनवाई के समय पत्र दिनांक 19/06/2024 के द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि:—

- लो०सू०अधि० द्वारा शिकायतकर्ता को समय पर सूचना उपलब्ध ना कराने के कारण शिकायतकर्ता के व्यवहारी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण दर्शित किया गया है जिसके चलते शिकायतकर्ता के व्यवहारी को घोर सामाजिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

- लो०सू०अधि० द्वारा माननीय आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस के बाद भी शिकायतकर्ता को सूचनाए उपलब्ध नहीं कराई गयी, जिसके कारण सही परीक्षा परिणाम की जानकारी के अभाव में शिकायतकर्ता का व्यवहारी अनुत्तीर्ण हुआ और शिकायतकर्ता के व्यवहारी को पुनः उसी कक्षा में बैक पेपर भरना पड़ा, जिससे शिकायतकर्ता के व्यवहारी को आर्थिक व सामाजिक हानि हुई।

- लो0सू0अधि0 द्वारा प्रेषित सूचनाएं शिकायतकर्ता से शिकायत की सुनवाई के दिन तक भी पहुंच से दूर रही। जिसका स्पष्ट कारण सम्बन्धित लो०सू०अधि० की प्रकरण में घोर लापरवाही है साथ ही सुनवाई के मान्य पीठ ने भी यह पाया की प्रेषित सूचनाएं भी भ्रामक एवं अधूरी है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

- ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के व्यवहारी को सम्बन्धित लो० सू०अधि० से मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक क्षतिपूर्ति के रूप में कुल मु०–10,000/– रूपये दिलाए जाने न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

10 पत्रावली के अवलोकन, प्रेषित सूचना तथा प्रस्तुत कथनों के परीक्षण से प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः–

- लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अनुरोध पत्र का सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विधिवत परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत नहीं किया गया।

- लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं होने पर भी सूचना दिये जाने हेतु स्वीकार किया गया, किंतु समयान्तर्गत सूचना प्रेषित नहीं की गयी।

- आयोग के नोटिस के उपरांत अधूरी सूचना प्रेषित की गयी, जिसका लोक सूचना अधिकारी द्वारा परीक्षण नहीं किया गया।

- डीम्ड लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषण में लापरवाही बरती गयी।

- प्रेषित सूचना विश्वविद्यालय की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख है एवं उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में व्यापक लापरवाही बरती गयी एवं शिकायतकर्ता को वांछित सूचना समय पर भी उपलब्ध नहीं हुई है।

11. **शिकायतकर्ता के उपरोक्त क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के अनुरोध के क्रम में लोक प्राधिकारी/कुलपति से आगामी सुनवाई पर इस आशय के**

JP

विभाग
पत्रावली संख्या

स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत शिकायत में वर्णित परिस्थितियों में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत क्यों नहीं विश्वविद्यालय पर शिकायतकर्ता द्वारा वांछित क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाए। लोक प्राधिकारी द्वारा कुलसचिव के माध्यम से आगामी सुनवाई पर विश्वविद्यालय का पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इतिहास एवं राजनीति शास्त्र की मूल उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग द्वारा बंद लिफाफे में पत्रावली में सुरक्षित रखा गया। आगामी सुनवाई की तिथि पर परीक्षा नियंत्रक के स्पष्टीकरण के सापेक्ष पुनः उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कर विश्वविद्यालय को लौटाया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को जाता है कि आयोग द्वारा दिनांक 30/04/2024 को दिये गये कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अन्य अवसर प्रदान किया जाता है। आगामी सुनवाई पर उनके स्पष्टीकरण पर विचार किया जायेगा। आदेश की प्रति पृथक से लोक प्राधिकारी/कुलपति, कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित की जाए।

13. पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु **दिनांक 02/08/2024** को पीठ के समक्ष प्रस्तुत हो।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

दिनांक 19.06.2024

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

JP